जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-10.02.2025**

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत उधम सिंह स्टेडियम के पास युवक पर जानलेवा हमला करने की घटना में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 फर्से (गंडासा) बरामद।

ज्ञात हो कि दिनांक 06.02.2025 को वादी श्री कमल पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम मुण्डेटकला थाना आदर्शमंडी जनपद शामली ने अपने भाई अंश जोकि उधम सिंह स्टेडियम में रेस लगाकर घर लौटते समय कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना का अनावरण कर अभियुक्तो की यथाशीघ्र गिरफ्तारी किये जाने हेतु थानाध्यक्ष थाना कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 10.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत उधम सिंह स्टेडियम के पास एक युवक पर जानलेवा हमला करने की घटना में वांछित 03 अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त 02 फर्से (गंडासा) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त/अभियुक्ता उत्तम भाटी, राहुल, निक्की को दिनाँक 09.010.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता-

1.मोनू उर्फ अभिषेक पुत्र अशोक कुमार निवासी मौहल्ला पंसारियान अटल विहार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.भोला उर्फ सिमांशु पुत्र मुकेश निवासी एकता विहार कालोनी ऊर्जा रोड वार्ड नं0 13 थाना चांदनी बाग जनपद पानीपत हरियाणा।

3.अतुल पुत्र मांगेराम निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना बाबरी/थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 06 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 10.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी/थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 06 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.शमीम पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।

2.अकबर पुत्र होशियार निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।

3.मुस्तकीम पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।

4.हनीफ पुत्र हमीद निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।

5.अब्बास पुत्र अलीहसन निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली।

6.अफजाल उर्फ मौहम्मद इकबाल पुत्र यासीन निवासी बबेल रोड अली कालोनी थाना चांदनी बाग जनपद पानीपत हाल निवासी ग्राम खानपुर गुज्जर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

थाना कांधला पुलिस द्वारा धोखाधडी कर पैसे लेकर वापस न करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

ज्ञात हो कि वादी श्री राममेहर पुत्र गिरवर निवासी ग्राम सुन्ना थाना कांधला जनपद शामली व उसके दोस्त श्री दुष्यन्त पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम भभीसा थाना कांधला जनपद शामली से अभियुक्त साजिद द्वारा सोने की ईंट देने हेतु ऑनलाईन व नगद धनराशि ले ली गयी थी जिसके बाद अभियुक्त द्वारा न तो सोने की ईंट वादी श्री राममेहर व श्री दुष्यन्त को दी गयी और न ही पैसे वापस किये। अभियुक्तत द्वारा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के सम्बन्ध में श्री राममेहर उपरोक्त द्वारा थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 10.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर पैसे लेकर वापस न करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.साजिद पुत्र इकरार निवासी दुधला रोड़ थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में आयुध अधिनियम के 01 मामले में माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गयाः-

1. वर्ष 1999 में अभियुक्त जल सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह निवासी ग्राम छोटी वर अली थाना सदर जनपद करनाल के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 321/1999 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI